न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 7/2018 (डूंगरपुर डिक्री)

1. मनोज संचावत पिता स्वर्गीय श्री बालकृष्ण संचावत, जाति नीमा महाजन, निवासी सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती साधना पत्नी स्वर्गीय श्री बालकृष्ण संचावत, जाति नीमा महाजन, निवासी सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. विष्णु कुमार पिता स्वर्गीय श्री मांगीलाल संचावत, जाति नीमा महाजन, निवासी सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (मृतक) के बजाय :-

   1/1. श्रीमती विनीता पत्नी स्वर्गीय श्री विष्णु कमार

   1/2. सुश्री आयुषी पुत्री स्वर्गीय श्री विष्णु कमार
2. संतोष पिता स्वर्गीय श्री मांगीलाल संचावत, जाति नीमा महाजन, निवासी सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. सुश्री अरूणा पुत्री स्वर्गीय श्री मांगीलाल संचावत, जाति नीमा महाजन, निवासो सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
दिनांक 16.05.2018, प्र. सं. 16/16

---/---

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री संजीव भटनागर अभिभाषक रे.सं. 1 से 3
3. पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4

---:::---

निर्णय दिनांक

26-04-2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वादिया कस्बा सागवाड़ा की निवासी होकर उसकी माता का नाम आनन्दी पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल संचावत था, जिसका दिनांक 23–02–2015 को स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उसके भाई व प्रतिवादी संख्या 3 उसकी सगी बहन है। श्रीमती आनन्दी के स्वामित्व एवं कब्ज की भूमि मौजा सागवाड़ा में खाता नंबर 59/51 के खसरा नंबर 6032 रकबा 8 बिस्वा, 6033 रकबा 12 बिस्वा एवं 6034 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। श्रीमती आनन्दी ने उक्त तीनों खेतों में 1/2 हिस्से की वसीयत दिनांक 14–02–2015 को अपने पुत्र वादी विष्णु के हक मे निष्पादित कर दी। श्रीमती आनन्दी उक्त खाता संख्या 59/51 की सम्पूर्ण भूमि की मालिक होकर काबिज थी। उक्त वसीयत के बाद वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। अतएवं वादी को विवादित आराजियात का तनहा खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे एवं अन्य उचित अनुतोष दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा वाद स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना बताया।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 16–05–2018 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–07–2018 को प्रस्तुत की।

अपील के साथ दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 के पति बालकृष्ण जी को भी पक्षकार बनाया था, परन्तु दौराने वाद उनकी मृत्यु हो गयी,

जिसके कायम मुकाम संस्थित बनाये बिना डिक्री प्राप्त कर ली, जिससे प्रार्थीगण के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतएवं उन्हें अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

अपील मीमों में अपीलान्ट ने मुख्य रूप से यह वर्णित किया कि वादिया द्वारा जिस आधार पर वाद लाया गया है, वह वसीयत संदिग्ध है, जिसपर अपीलान्ट अथवा उनके पिता बालकृष्ण जी के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं हैं एवं न ही उन्हें इस बात की कोई जानकारी है, जबकि सारे कर्ता धर्ता, परिवार की देखरेख एवं व्यापार में सारी मेहनत बालकृष्ण जी द्वारा ही की जाती थी। वसीयत पर आनन्दी के हस्ताक्षर संदिग्ध हैं, क्योंकि कहीं पर आनन्दी देवी संचावत पूरा नाम लिखा है और कहीं पर सिर्फ आनन्दी देवी लिखा ही लिखा। यहां तक कि अपीलान्टगण को कायम मुकाम ही संस्थित नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मुख्य वसीयत भी पेश नहीं हुई है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री कर दिया। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 20–07–2018 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद है। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर दिया जाकर पैत्रृक जायदाद में उसका हक हिस्सा कायम किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अपीलान्ट की अपील का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि अपीलान्टगण आवश्यक पक्षकार नहीं है एवं उन्हें पक्षकार नहीं बनाने से उनके अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अपीलान्टगण वर्ष 1979 से ही स्वर्गीय बालकृष्ण से अलग रहते हैं एवं स्वर्गीय बालकृष्ण जी ने अपने जीवनकाल में ही अपीलान्टगण को अपनी चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया था तथा उनके द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। इस कारण अपीलान्टगण को कायम मुकाम बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवादित आराजियात स्वर्गीय आनन्दी की स्वअर्जित होकर उनके कब्जे काश्त की थी, जिसका उन्हें मनचाहे तरीके से निस्तारित करने का पूर्ण अधिकार था। अपीलान्ट द्वारा अपील भी मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है तथा उनकी कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है।

बालकृष्ण के जीवनकाल में अपीलान्टगण द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति में किसी प्रकार के हिस्से की मांग नहीं की गयी है, लेकिन उनकी मत्यु के बाद उनकी नियत में फितूर आ जाने से यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जो खारिज की जावे।

हमने दफा 96 जा.दी. के आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। यह निर्विवाद है कि अपीलान्टगण स्वर्गीय बालकृष्ण के पुत्र एवं पत्नी है तथा बालकृष्ण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में संस्थित था, अतएवं उसकी मृत्यु पर उसके वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाना आवश्यक था, तद्नुसार अपीलान्टगण का दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार किया जाकर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री संजीव भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 राज्य सरकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण एवं अपीलान्टगण आवश्यक पक्षकार होने के कारण, उन्हें पक्षकार बनाये बिना अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री पारित की गयी है उसे त्रुटि पूर्ण बताया एवं अपीलान्टगण को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिये जाने का निवेदन किया। अपील के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1047 (सुप्रिमकोर्ट), डी.एन.जे. (रेवेन्यू) 2016 पेज 184, डी.एन.जे. 2016 (2) पेज 927 (राज.) एवं आर.आर. टी. 2011—12 (Supp.) पेज 703 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 बालकृष्ण की मृत्यु हो गयी थी तथा यह निर्विवाद है कि अपीलान्टगण स्वर्गीय बालकृष्ण के पुत्र एवं पत्नी है। तद्नुसार अपीलान्टगण को प्रतिवादी संख्या 2 को मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाकर एवं उन्हें सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया जाना चाहिए था, जो नहीं किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16—05—2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 बालकृष्ण के वारिसान अर्थात हाल अपीलान्टगण को प्रकरण में प्रतिवादीगण के रूप में संस्थित कर एवं उनकी साक्ष्य लेकर व सुनकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28—06—2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविशिट नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26—04—2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....
....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बनाम दलपतसिंह पिता
मनोहरसिंह देवड़ा
बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 निवासी सिंगावतों का
वाडा, देबारी
नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर
व अन्य
बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.......47/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड
अधिकारी.....
...........सांगवाडा......... मुकाम................मुवर्खे.............18...............माह..............
07............2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........13....माह........03.......सन् 2019 रूबरू........
पक्षकारान
व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र
मेनारिया/राजमल राव

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपोलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये
.... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........13......माह.......03...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।